न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

पुराना मुकदमा न0– 209/2020 पुनः दर्ज 08/2023 दर्ज दिनांक 18.09.2020

पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023

पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 2023/93 निर्णय दिनांक 01.02.2023

प्रहलाद बनाम ओमप्रकाश

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम गुढ़ागौड़जी पटवार हल्का गुढ़ागौड़जी की सरहद में भूमि खसरा न. 720, 721, 722, 724, 756, 771, 776, 831, 833 में वादीगण का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार गुढ़ागौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.03.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) गुढागौडजी से पत्र क्रमांकः– भू.अ./2022/5209 दिनांक 21.12.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
पुराना मुकदमा न0– 209/2020 पुनः दर्ज 08/2023 दर्ज दिनांक 18.09.2020
पुनः दर्ज दिनांक 05.01.2023
पुनः दर्ज जी सी एम एस न0 2023/93 निर्णय दिनांक 01.02.2023

प्रहलाद बनाम ओमप्रकाश

अंतिम निर्णय
दावा विभाजन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी** ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.12.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–.............................निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –..................निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –...............निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

01/2/23

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:52:47 IST
Reason: SelfAttested